

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

कार्या0आ0-भवन/10-आरोप(विद्युत)-88/2017.....306...../ पटना, दिनांक- 8.12.17

श्री कमलेश राम, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य प्रशाखा, नया सचिवालय पटना के विरुद्ध विकास भवन स्थित लिफ्ट की सुविधा एवं उचित प्रबंधन के लिए निदेश दिये जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं करने तथा लिफ्ट के संचालन एवं रख-रखाव में अनियमितता बरतने के लिये आरोप प्रपत्र-"क" गठित कर विभागीय पत्रांक-6209 दिनांक-11.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री कमलेश राम द्वारा दिनांक-03.07.2017 को समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कमलेश राम के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र-"क" में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें श्री असीम कुमार, प्रभारी मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री आदित्य राज, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-2-सह-प्रभारी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-1, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कमलेश राम, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य प्रशाखा, नया सचिवालय, पटना से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि से दस कार्य दिवसों के अन्दर अपना बचाव पक्ष लिखित रूप में उपस्थित हो कर उपलब्ध करायेगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवयक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-


अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/10-आरोप(विद्युत)-88/2017.....10990(अ)...../ पटना, दिनांक:- 8.12.17

प्रतिलिपि:-आरोप प्रपत्र-"क" एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री असीम कुमार, प्रभारी मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री आदित्य राज, प्रभारी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-1, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10-आरोप(विद्युत)-88/2017.....10990(अ)² / पटना, दिनांक- 8.12.17

प्रतिलिपि:- श्री कमलेश राम, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य प्रशाखा, नया सचिवालय पटना को आरोप प्रपत्र-"क" एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक:- भवन/10-आरोप(विद्युत)-88/2017.....10990(अ) / पटना, दिनांक:- 8.12.17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव/विद्युत अधीक्षण अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-01 एवं 02, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


4/12/17